महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या 692/पांच-8-2016-जी(27)/2016

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. परियोजना निदेशक,यूपीएचएसएसपी
2. मिशन निदेशक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. अधिशासी निदेशक,सिफ्सा।
4. परियोजना निदेशक,उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडीपीएल।
6. महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
7. महानिदेशक,परिवार कल्याण,उ0प्र0।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. उ०प्र०।

चिकित्सा अनुभाग-8 दिनांक : 17 फरवरी 2017

विषय : चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत नवसृजित मानव सम्पदा साफ्टवेयर के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 47/2974/पांच-8-2016-जी(27)/2016, दिनांक 05.09.2016, शासनादेश संख्या 3400/पांच-8-2016-जी(27)/2016टी0सी0-1, दिनांक20.10.2016 तथा शासनादेश संख्या 3729/पांच-8-2016-जी(27)/2016,दिनांक 29.11.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों एवं कार्यालयों में कार्यरत समस्त श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण मानव सम्पदा साफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित मानव सम्पदा साफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन एवम् नियन्त्रण के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर यूजर्स (USERS) का निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा इन यूजर्स को विभिन्न सेवा समूहों के संबंध में आवश्यक अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक यूजर अपने अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों के विवरण का अवलोकन कर सकेगा और निर्धारित कार्यों का सम्पादन करेगा। मानव सम्पदा के अन्तर्गत अनुमोदन एवं प्रत्येक कैडर के नियन्त्रण का स्तर अनुलग्नक-1 में दिया गया है। प्रत्येक यूजर, आपरेटर आई डी द्वारा डेटाबेस में आवश्यक अद्यतन डेटा फीड कर सकता है।

3. उक्त साफ्टवेयर में विभिन्न स्तरों यथा-शासन, महानिदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, मण्डल व जनपद के सक्षम अधिकारियों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

(i) शासन स्तर पर मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए एक पी.एम.यू. स्थापित की जाएगी जिसके लिए विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग-2 नोडल अधिकारी होंगे। उक्त यूनिट में चिकित्सा अनुभाग 3 व 8, एन.आई.सी., कोषागार तथा टी.एस.यू. के एक-एक प्रतिनिधि भी रहेंगे। उक्त पी.एम.यू. निदेशालयों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्यालयों को भी मानव सम्पदा साफ्टवेयर के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी।

(ii) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं व निदेशालय, परिवार कल्याण, उ0प्र0 के स्तर पर मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 नोडल अधिकारी होंगे। इस कार्य के लिए,वे अपने अधीन कार्यरत किसी निदेशक स्तर के अधिकारी को भी नामित कर सकेंगे। इसी प्रकार निदेशक-प्रशासन के स्तर से मानव सम्पदा साफ्टवेयर के अन्तर्गत किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए निदेशक, प्रशासन स्वयं नोडल अधिकारी होंगे।

(iii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के स्तर पर मानव सम्पदा साफ्टवेयर के अन्तर्गत होने वाले समस्त कार्यों के लिए महाप्रबन्धक, मानव संसाधन नोडल अधिकारी होंगे।

(iv) यूपीएचएसएसपी परियोजना हेतु अपर परियोजना निदेशक, यूपीएचएसएसपी, मानव सम्पदा साफ्टवेर के अन्तर्गत किए जाने वाले समस्त कार्यों के नोडल अधिकारी होंगे।

(v) सिफ्सा से मानव सम्पदा साफ्टवेयर के अन्तर्गत किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए महाप्रबन्धक, मानव संसाधन नोडल अधिकारी होंगे।

(vi) उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी से मानव सम्पदा साफ्टवेयर के अन्तर्गत किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए अपर परियोजना निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।

(vii) यू.पी.डी.पी.एल. से मानव सम्पदा साफ्टवेयर के अन्तर्गत किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए अपर प्रबन्ध निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।

(viii) मण्डल स्तर से मानव सम्पदा साफ्टवेर के अन्तर्गत किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए अपर निदेशक स्वंय नोडल अधिकारी होंगे।

(ix) जनपद स्तर पर मानव सम्पदा साफ्टवेयर के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला/पुरुष) यथास्थिति नोडल अधिकारी होंगे।

उपरोक्तानुसार वर्णित नोडल अधिकारी मानव सम्पदा साफ्टवेयर के कार्यों हेतु दिए गए यूजर नेम व पासवर्ड किसी अधिकारी व कर्मचारी को हस्तांतरित नहीं करेंगे तथा वे इसके प्रयोग एवं सुरक्षा हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मानव सम्पदा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों के सेवाकाल में होने वाली समस्त गतिविधियों को पारदर्शिता से ऑनलाइन बनाए जाने की व्यवस्था मात्र है। कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी सभी प्रकरणों का निर्धारण, पूर्व में जारी नियमावलियों/शासनादेश (यथास्थिति)में वर्णित नीति से ही किया जाएगा।

4. मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं आहरण वितरण अधिकारियों को मानव सम्पदा साफ्टवेयर पर कार्मिकों की बायोमैट्रिक्स तथा फोटोग्राफी कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग ईकाई द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जाएगा। अन्य सभी कार्यालयों के नोडल अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण का कार्य यूपीटीएसयू द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

5. उपर्युक्त मानव सम्पदा साफ्टवेयर दिनांक 1 फरवरी, 2017 से कार्यरत हो चुका है, जिसके उपरान्त अनुलग्नक-1 में उल्लिखित संबंधित अधिकारी द्वारा अपने अधीन कार्मिकों के सेवा-संबंधी यथा-नियुक्ति, तैनाती, स्थानान्तरण तथा कार्यमुक्त आदि के विवरण अद्यतन भरे जा सकेंगे। वर्तमान में पर्सनल इनफारमेशन सिस्टम (P.I.S) भी संचालित किया जा रहा है। उक्त साफ्टवेयर में उपलब्ध समस्त सूचनाएं एवं गतिविधियाँ अब मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी तथा 31 मार्च, 2017 के उपरान्त उक्त साफ्टवेयर का क्रियान्वयन बंद कर दिया जाएगा।

6. जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित/संविदा) का विवरण मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अद्यतन रखा जाएगा तथा उक्त साफ्टवेयर में उपलब्ध कार्मिकों के ही वेतन/मानदेय/शुल्क का आहरण किया जाएगा। यदि किसी भी जनपद/कार्यालय/चिकित्सा ईकाई में मानव सम्पदा में उपलब्ध कार्मिकों से इतर कार्मिकों के वेतन का आहरण किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जाएगा तथा संबंधित कार्यालय के डी.डी.ओ. व कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

7. उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग ईकाई द्वारा शासन स्तर पर स्थापित प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) के माध्यम से मानव सम्पदा साफ्टवेयर के क्रियान्वयन में यथावश्यक सहयोग दिया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि मानव सम्पदा के साफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

संलग्नक - <u>यथोपरि।</u>

भवदीय,

(signature)

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव,

संख्या 692 (1)/पांच-8-2016-जी(27)/2016 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8. गार्डफाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनुसचिव